न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 05/2021

शीर्षक

1. मुकेश सिंह पुत्र सायर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुराणा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०) –

–वादी

बनाम

1. भौरी देवी पत्नी मुरली
2. मनभरी पत्नी ओमप्रकाश

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापती) निवासी खोरालाडखानी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/04/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की शामलाती सयुंक्त सहखातेदारी की भूमि हाल आराजी खाता सं0–232 के खसरा नं0–661/0.31 है0 किता–1 रकबा 0.31 है० वाकै ग्राम सुराणा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 16/31 व प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा 15/62 व प्रतिवादी सं0–2 का हिस्सा 15/62 दर्जे हाल है नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि वादी व प्रतिवादी सं0–1 व 2 शामलाती में अदल बदल कर काश्त करते आये है। यहकि प्रतिवादीगण बाजौर धनी व लडाकु किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन सींव डोल विवाद, रास्ता संबंधी विवाद व विशिष्ट भू–भाग पर काबिज होने की धमकी देते है तथा उक्त भूमि खोरालाडखानी मुख्य सडक के दक्षिण दिशा में दोल्यावाली ढाणी जाने वाले रास्ते पर अवस्थित है जिस पर मुख्य रास्ते की भूमि पर प्रतिवादीगण स्वंय कब्जा करने की धमकी देते है तथा वादी को काश्त में अदावट पैदा करने लग गये है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। यहकि वादी ग्राम सुराणा का स्थाई निवासी है जबकि राजस्व कर्मचारियो ने संहवन से लिपिकिय त्रुटि के कारण वादी को खोरालाडखानी सा.देह खातेदार दर्ज कर दिया जो काबिल दुरुस्ती है। यहकि दिनांक–05.01.2021 को वादी अपने खेत पर काम कर रहा था कि अचानक प्रतिवादीगण ने काश्त में मदाखलत पैदा की व भूमि से बेदखल करने व मुख्य विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने की धमकी दी तो वादी ने कानूनी बंटवारा करवाने हेतु सहमति का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट रूप से इंकार हो गये तथा वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये वादी को एलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे जबकि विशिष्ट भु–भाग पर कब्जा कर पुख्ता तामीरात करके वादी को बेदखल करके रहे तथा वादी शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगे। इस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यहकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबों में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी को उसकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया तथा कानूनी बंटवारा नहीं होने दिया तो या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया तो इससे वादी को नाकाबिले तलाफी होगी तथा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा वादी को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा तथा वादी को अपूर्णनीय क्षतिकारित होगी।

अन्त में निवेदन है कि हाल आराजी खाता सं0–232 के खसरा नं0–661/0.31 है0 किता–1 रकबा 0.31 है० वाकै ग्राम सुराणा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा का वादी व एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमो के मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस (सरस नरस) के आधार पर रास्ता खाला भूमि के ऊपजाऊ पन, बाजार कीमत, ऊबड खाबड वगैरह को ध्यान में रखते हुऐ कानूनी बंटवारा किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तथा यहकि प्रतिवादी सं0–1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा मे से वादी के हिस्से में आई आयी भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व काश्त में किसी भी प्रकार की बेजा मदाखलत ना वे स्वंय पैदा करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट अथवा उत्तराधिकारीयो से करावे जबकि वादी को शान्ति पूर्ण काबिज एवं आबाद रहकर काश्त करने देवे। आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री परसाराम जाट ने अण्डरटेकिंग दी। प्रकरण में दिनांक 05.03.2021 को वकील प्रतिवादी ने वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा जिस पर वकील वादी आपत्ति की व प्रकरण में प्राथमिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में दिनांक 05.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया। प्रकरण में दिनांक 24.03.2021 को वकील प्रतिवादी ने वकालतनामा व प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिस पर वकील वादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की, जिस कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया गया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा व आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील उभयपक्ष को आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुना गया। पत्रावली व बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत बंटवारा रिपोर्ट सही प्रतीत नहीं होने से आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को पुनः बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर बोर्ड के अनुसार भिजवाने हेतु निर्देशित किया। प्रकरण बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन करने पर पाया गया की कुर्रेजात रिपोर्ट/बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट नायब तहसीलदार के द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर भिजवाई गई है जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है व मौका निरीक्षण तहसीलदार द्वारा नही किया गया है जो कि नियमों की पालना के विरूद्व है। अतः आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को पुनः बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/ भू0अ0/2024/966 दिनांक 19.02.2024 के द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में सीधी बहस की। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 19.02.2024 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का खोरालाडखानी की उपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में वादी को हाल खसरा नंबर 661 में रास्ते से दक्षिण तरफ से पश्चिम की 0.16 है0 भूमि प्रस्तावित की है। हाल खसरा नंबर 661 में पूर्वी तरफ की भूमि में प्रतिवादी ने पुख्ता मकान व बोरिंग बना रखा है व उक्त भूमि के उत्तर में स्थित अपनी अन्य भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रस्तावित दक्षिणी तरफ कितनी चौड़ाई की भूमि वादी को प्रस्तावित की है अंकित नहीं कि जबकि हाल खसरा नंबर 661 के पूर्वी दक्षिणी तरफ प्रतिवादी का मकान बना हुआ है जिसमें प्रतिवादी मय परिवार निवास कर काबिज काश्त है इसलिये प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट को अपास्त की जाकर वादी को प्रस्तावित भूमि जो हाल खसरा नंबर 661 में दक्षिण तरफ से पश्चिमी भूमि प्रस्तावित की है कि नाप जोख अंकित कर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायसंगत है। वकील वादी ने अपनी बहस में वकील प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र का खण्डन करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रस्तावित दक्षिणी तरफ कितनी चौड़ाई की भूमि वादी को प्रस्तावित की है, का अंकन नहीं है। इस हेतु दक्षिणी तरफ 04 मीटर चौड़ाई की भूमि वादी को प्रस्तावित किया जाना उचित समझते है। अतः प्रस्तुत आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दक्षिणी तरफ 04 मीटर चौड़ाई की भूमि वादी को प्रस्तावित किये जाने का ब्यौरा निर्णय में दिया जाना उचित है। अतः विधिवत विविध प्रार्थना–पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं0–232 के खसरा नं0–661/ 0.31 है0 किता–1 रकबा 0.31 है० वाकै ग्राम सुराणा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. भौरी देवी पत्नी मुरली, मनभरी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार हि0 15/31 सा0 देह आ0ख0 न0 661/1 रकबा 0.15 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. मुकेश सिंह पुत्र सायरसिंह जाति राजपुत हि0 16/31 सा0 देह आ0ख0 न0 661 रकबा 0.16 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

नोट – हाल आराजी खसरा नंबर 661 में दक्षिणी तरफ से पश्चिमी भूमि वादी को 04 मीटर चौड़ाई भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की जाती है।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 05/2021

शीर्षक

1. मुकेश सिंह पुत्र सायर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुराणा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1. भौरी देवी पत्नी मुरली
2. मनभरी पत्नी ओमप्रकाश
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापती) निवासी खोरालाडखानी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट
निर्णय दिनांक 15/04/24

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं0–232 के खसरा नं0–661/0.31 है0 किता–1 रकबा 0.31 है० वाके ग्राम सुराणा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. भौरी देवी पत्नी मुरली, मनभरी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार हि0 15/31 सा0 देह आ0ख0 न0 661/1 रकबा 0.15 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. मुकेश सिंह पुत्र सायरसिंह जाति राजपुत हि0 16/31 सा0 देह आ0ख0 न0 661 रकबा 0.16 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

नोट – हाल आराजी खसरा नंबर 661 में दक्षिणी तरफ से पश्चिमी भूमि वादी को 04 मीटर चौड़ाई भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की जाती है।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 15/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ...... वकील पर लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	